भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *376
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

**आपराधिक मामलों का बैकलॉग**

***376. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) न्यायालयों में आपराधिक मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ;

(ख) आपराधिक न्याय प्रणाली में विचाराधीन कैदियों के लिए शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) सरकार अपराधों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए, विशेषतः हाई-प्रोफाइल मामलों में, समय पर न्याय किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*************

**'आपराधिक मामलों का बैकलॉग' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *376, जिसका उत्तर तारीख 20.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

**(क) और (ख) :** न्यायालयों में मामलों का निपटारा कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, सम्मिलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं । मामलों के निपटारे में देरी का कारण बनने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और समूहीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित है ।

जेलों में भीड़भाड़ कम करने और विचाराधीन कैदियों की सहायता करने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 में निम्नलिखित उपबंध सम्मिलित किए गए हैं :

- बीएनएसएस की धारा 290 में सौदा अभिवाक को समयबद्ध बनाया गया है और सौदा अभिवाक के लिए आवेदन आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है । सौदा अभिवाक के मामले में, बीएनएस की धारा 293 के अधीन मामले का पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटारा करने में, जहां अभियुक्त पहली बार अपराधी है और उसे पहले किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, न्यायालय ऐसे अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक-चौथाई/एक-छठा हिस्सा दे सकता है ।
- विचाराधीन कैदी को निरुद्ध रखने की अधिकतम अवधि बीएनएसएस की धारा 479 में निर्धारित की गई है । यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है (जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है), तो उसे न्यायालय द्वारा बांड पर रिहा किया जाएगा, यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के एक-तिहाई तक की अवधि के लिए निरुद्ध रहा है । इसके अलावा, इस संबंध में न्यायालय में आवेदन करना जेल अधीक्षक का कर्तव्य होगा ।
- पहली बार, सामुदायिक सेवा को दंडों में से एक के रूप में आरंभ किया गया है ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) आपराधिक न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं को मजबूत करने और विचाराधीन कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) नामक एक नई केंद्रीय सेक्टर स्कीम को लागू कर रहा है । इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 3 वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए 998.43 करोड़ रुपये है । 30 सितंबर 2024 तक, एलएडीसी कार्यालय 653 जिलों में संचालित हैं, जिनमें 4674 कर्मचारी हैं, जो 2024-25 में 2.54 लाख आपराधिक मामलों को संभालेंगे ।

इसके अलावा, सभी जिलों में विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति (यूटीआरसी) की स्थापना की गई है । जनवरी, 2020 से मार्च, 2024 तक, 39,968 यूटीआरसी बैठकें आयोजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 1,04,577 कैदियों को निर्मुक्त किया गया ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार, देश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है । इन लोक अदालतों में, न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व चरण में आपराधिक शमनीय मामलों जैसे धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, धारा 420 भारतीय दंड संहिता आदि सहित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक अदालतों द्वारा राज्यवार निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

(i) राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है ।

(ii) राज्य लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है ।

(iii) स्थायी लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण **उपाबंध-3** में दिया गया है ।

कोविड महामारी के दौरान, विवादों को निपटाने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म ई-लोक अदालत आरंभ की गई, जिसमें वैकल्पिक विवाद समाधान ("एडीआर") तंत्र के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ा गया, जिससे पहुंच में सुधार हुआ और मुकदमेबाजी की लागत कम हुई । 28 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लगभग 112.39 लाख मामलों का वर्चुअल तरीके से समाधान किया गया ।

**(ग) :** अपराधों के पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करने के लिए, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में निम्नलिखित उपबंध सम्मिलित किए गए हैं :

- तेज़ और निष्पक्ष समाधान : नई विधियां मामलों के तेज़ और निष्पक्ष समाधान का वचन देती हैं, जिससे विधिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होता है । अन्वेषण और विचारण के महत्वपूर्ण चरण जैसे - प्रारंभिक पूछताछ (14 दिनों में पूरी की जानी है), आगे का अन्वेषण (90 दिनों में पूरा किया जाना है), पीड़ित और आरोपी को दस्तावेज़ की आपूर्ति (14 दिनों के भीतर), विचारण के लिए मामले को सौंपना (90 दिनों के भीतर), उन्मोचन आवेदनों को फाइल करना (60 दिनों के भीतर), आरोप तय करना (60 दिनों के भीतर), निर्णय की घोषणा (45 दिनों के भीतर) और दया याचिकाओं को फाइल करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन) - निर्धारित किए गए हैं और निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है ।
- त्वरित अन्वेषण : नई विधियों ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर समय पर अन्वेषण पूरा हो सके ।
- सीमित स्थगन : न्यायालय मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए अधिकतम दो स्थगन दे सकते हैं, ताकि समय पर न्याय सुनिश्चित हो सके ।

14वें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, लाइलाज बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित दीवानी मामलों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) स्थापित करने की सिफारिश की थी । वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए कर हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध बढ़ी हुई राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग करने का आग्रह किया था । संघ सरकार ने राज्य सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का भी आग्रह किया है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.10.2024 तक देश में 863 एफटीसी कार्यरत हैं । कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-4** में है ।

इसके अलावा, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र विचारण और समयबद्ध तरीके से निपटारे के लिए अक्टूबर, 2019 से विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (FTSCs) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को लागू कर रही है । उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 31.10.2024 तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 408 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यरत हैं । इन न्यायालयों ने स्कीम के आरंभ से अब तक 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है । कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (FTSCs) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-5** में है ।

जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 699/2016 (अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य) में अपने तारीख 01.11.2017 और 14.12.2017 के

आदेशों के अनुसार निदेशित किया था, संघ सरकार ने निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई और निपटारे के लिए 11 राज्यों (एनसीटी दिल्ली-2, आंध्र प्रदेश-1, तेलंगाना-1, कर्नाटक-1, केरल-1, तमिलनाडु-1, महाराष्ट्र-1, मध्य प्रदेश-1, उत्तर प्रदेश-1, बिहार-1 और पश्चिमी बंगाल-1) में 12 विशेष न्यायालयों की स्थापना की सुविधा प्रदान की। अब तक, **9 राज्यों में 10 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं** (बिहार और केरल के विशेष न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के तारीख 04.12.2018 के निदेश के अनुसार बंद कर दिया गया था। इन विशेष न्यायालयों का निष्पादन भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है।

***************

**उपाबंध-1**

**'आपराधिक मामलों का बैकलॉग' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *376, जिसका उत्तर तारीख 20.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण

| क्रम सं. | राज्य प्राधिकरण का नाम | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (सितंबर, 2024 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) |
| 1 | अंदमान और निकोबार | 0 | 248 | 3997 | 3310 | 1536 | 2319 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 97415 | 37896 | 122839 | 647956 | 671612 | 139472 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 588 | 104 | 1054 | 1071 | 990 | 1463 |
| 4 | असम | 21596 | 12188 | 39642 | 113989 | 164445 | 129525 |
| 5 | बिहार | 164984 | 66451 | 151620 | 305483 | 357765 | 265649 |
| 6 | चंडीगढ़ | 11188 | 2569 | 16833 | 15569 | 63764 | 31149 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 57648 | 24464 | 134548 | 1125318 | 1664237 | 2374635 |
| 8 | दादर और नागर हवेली और दमण और दीव | 2270 | 1799 | 285 | 1538 | 20632 | 8592 |
| 9 | दिल्ली | 71377 | 83006 | 154992 | 535025 | 671278 | 509192 |
| 10 | गोवा | 1565 | 351 | 1680 | 3934 | 3505 | 3007 |
| 11 | गुजरात | 193150 | 41584 | 748722 | 1185571 | 1863177 | 1584194 |
| 12 | हरियाणा | 103298 | 30298 | 123413 | 673487 | 985650 | 1010654 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 25432 | 5971 | 35556 | 111150 | 150181 | 128235 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 32177 | 13258 | 166544 | 390496 | 404665 | 446944 |
| 15 | झारखंड | 49228 | 53152 | 232473 | 1121405 | 2822947 | 3501128 |
| 16 | कर्नाटक | 281849 | 334681 | 1277856 | 3444607 | 14840452 | 10488183 |
| 17 | केरल | 128729 | 15010 | 68681 | 136101 | 57726 | 46886 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 | 1463 | 1444 | 1781 | 1624 |
| 19 | लक्षद्वीप | 4 | 8 | 7 | 129 | 41 | 35 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 234433 | 108365 | 347333 | 419776 | 536105 | 357346 |
| 21 | महाराष्ट्र | 428376 | 215837 | 2440375 | 4754239 | 3543736 | 3588920 |
| 22 | मणिपुर | 1994 | 204 | 794 | 1343 | 437 | 708 |
| 23 | मेघालय | 695 | 303 | 852 | 956 | 680 | 756 |
| 24 | मिजोरम | 495 | 218 | 790 | 4432 | 4087 | 951 |
| 25 | नागालैंड | 973 | 251 | 941 | 888 | 801 | 782 |
| 26 | ओडिशा | 43197 | 18329 | 35557 | 337065 | 348288 | 565104 |
| 27 | पुडुचेरी | 4194 | 1738 | 5084 | 6405 | 6297 | 3099 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | पंजाब | 89016 | 32528 | 138175 | 392256 | 760712 | 840072 |
| 29 | राजस्थान | 219098 | 103060 | 286834 | 4572315 | 16586071 | 8240293 |
| 30 | सिक्किम | 165 | 30 | 110 | 232 | 126 | 76 |
| 31 | तमिलनाडु | 340594 | 88819 | 191604 | 447536 | 355762 | 243724 |
| 32 | तेलंगाना | 110838 | 47560 | 349902 | 1611677 | 5591849 | 13399009 |
| 33 | त्रिपुरा | 3354 | 382 | 1070 | 4814 | 15724 | 32884 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2484405 | 1171022 | 5551793 | 18698973 | 31644594 | 28258464 |
| 35 | उत्तराखंड | 26058 | 8088 | 20882 | 67438 | 85032 | 58465 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 62890 | 28596 | 133736 | 788082 | 1115532 | 1006326 |
| | **कुल योग** | **5293273** | **2548368** | **12788037** | **41926010** | **85342217** | **77269865** |

**उपाबंध-2**

**'आपराधिक मामलों का बैकलॉग' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *376, जिसका उत्तर तारीख 20.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण

| क्रम सं. | राज्य प्राधिकरण का नाम | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 (सितंबर, 2024 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गठित न्यायपीठों की संख्या | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | गठित न्यायपीठों की संख्या | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | गठित न्यायपीठों की संख्या | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | गठित न्यायपीठों की संख्या | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | गठित न्यायपीठों की संख्या | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) | गठित न्यायपीठों की संख्या | निपटाए गए मामले (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामले) |
| 1 | अंदमान और निकोबार | 2 | 290 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 8493 | 11400 | 3585 | 30461 | 4874 | 12123 | 4999 | 6720 | 80 | 1825 | 0 | 0 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 47 | 118 | 6 | 25 | 24 | 91 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 419 | 33084 | 6 | 1 | 136 | 13672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | बिहार | 931 | 1256 | 28 | 97 | 1 | 6 | 9 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | चंडीगढ़ | 12 | 28 | 26 | 1 | 69 | 37 | 30 | 538 | 32 | 1413 | 0 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 610 | 1662 | 491 | 3475 | 187 | 228 | 124 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | दादर और नागर हवेली और दमण और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 52 | 16340 | 300 | 195359 | 250 | 147103 | 60 | 11094 | 198 | 123151 | 182 | 141984 |
| 10 | गोवा | 5 | 81 | 8 | 777 | 30 | 3209 | 43 | 1308 | 13 | 245 | 8 | 329 |
| 11 | गुजरात | 4542 | 20611 | 2851 | 21880 | 5157 | 15546 | 3805 | 19717 | 12 | 244 | 1569 | 6544 |
| 12 | हरियाणा | 66040 | 124952 | 33774 | 52789 | 54762 | 115797 | 43135 | 230018 | 92 | 29196 | 0 | 0 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 1865 | 68651 | 90 | 3205 | 260 | 22031 | 142 | 4198 | 59 | 2880 | 26 | 1126 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 145 | 16774 | 125 | 9469 | 24 | 3271 | 225 | 76683 | 134 | 28170 | 138 | 26422 |
| 15 | झारखंड | 743 | 14341 | 607 | 79649 | 1310 | 22954 | 1523 | 10868 | 1495 | 33718 | 721 | 748810 |
| 16 | कर्नाटक | 3890 | 45165 | 1912 | 121884 | 412 | 2524 | 229 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | केरल | 1972 | 21408 | 721 | 4837 | 302 | 19226 | 607 | 23246 | 657 | 26231 | 291 | 1675 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1166 | 10675 | 1714 | 14903 | 808 | 4110 | 1242 | 5367 | 1472 | 48996 | 548 | 1426 |
| 21 | महाराष्ट्र | 592 | 7932 | 22 | 605 | 6 | 28 | 30 | 341 | 38 | 580 | 2 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | मणिपुर | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | मिजोरम | 112 | 552 | 27 | 147 | 17 | 204 | 41 | 1202 | 12 | 94 | 35 | 398 |
| 25 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ओडिशा | 101 | 45210 | 239 | 4628 | 12 | 326 | 6 | 112422 | 3 | 244230 | 0 | 0 |
| 27 | पुडुचेरी | 49 | 699 | 24 | 392 | 42 | 262 | 47 | 743 | 38 | 492 | 12 | 181 |
| 28 | पंजाब | 803 | 4242 | 0 | 0 | 339 | 1108 | 6 | 15 | 154 | 2268 | 0 | 0 |
| 29 | राजस्थान | 3689 | 6522 | 607 | 34514 | 786 | 845 | 1202 | 1628 | 1086 | 1039 | 526 | 497 |
| 30 | सिक्किम | 120 | 560 | 110 | 158 | 110 | 636 | 150 | 887 | 143 | 784 | 78 | 468 |
| 31 | तमिलनाडु | 2181 | 16621 | 767 | 13117 | 759 | 13066 | 1295 | 16369 | 1336 | 34744 | 263 | 3104 |
| 32 | तेलंगाना | 1862 | 12352 | 1501 | 24327 | 2827 | 7363 | 2604 | 25365 | 2474 | 171817 | 1267 | 12089 |
| 33 | त्रिपुरा | 35 | 7353 | 12 | 6938 | 93 | 11624 | 19 | 2492 | 62 | 25637 | 11 | 3796 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 197 | 3916 | 200 | 100305 | 57 | 31414 | 30 | 259125 | 172 | 411941 | 224 | 59246 |
| 35 | उत्तराखंड | 72 | 27258 | 121 | 6166 | 25 | 8605 | 125 | 26498 | 102 | 17407 | 43 | 3816 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 1307 | 25698 | 575 | 13853 | 774 | 74999 | 454 | 10830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल योग** | **102056** | **545751** | **50451** | **744073** | **74480** | **532529** | **62194** | **851309** | **9865** | **1207103** | **5944** | **1011912** |

**उपाबंध-3**

**'आपराधिक मामलों का बैकलॉग' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *376, जिसका उत्तर तारीख 20.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थायी लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण

| क्रम सं. | एसएलएसए | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 (सितंबर, 2024 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के दौरान बैठक | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के दौरान बैठक | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के दौरान बैठक | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के दौरान बैठक | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के दौरान बैठक | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के दौरान बैठक | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले |
| 1 | अंदमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1384 | 1608 | 431 | 1283 | 927 | 1406 | 1058 | 558 | 1349 | 1134 | 726 | 860 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 263 | 38 | 99 | 12 | 141 | 56 | 213 | 56 | 195 | 97 | 83 | 13 |
| 5 | बिहार | 1754 | 688 | 977 | 203 | 482 | 221 | 313 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | चंडीगढ़ | 246 | 582 | 246 | 108 | 240 | 687 | 241 | 10945 | 239 | 11511 | 124 | 6978 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 918 | 96 | 346 | 32 | 1045 | 1199 | 1224 | 2028 | 1174 | 6749 | 575 | 5536 |
| 8 | दादर और नागर हवेली और दमण और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 516 | 19439 | 532 | 14765 | 791 | 17395 | 773 | 18682 | 781 | 19337 | 412 | 10713 |
| 10 | गोवा | 21 | 57 | 24 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 11 | गुजरात | 9 | 120 | 1 | 105 | 9 | 2238 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | हरियाणा | 3578 | 45839 | 3413 | 9654 | 3547 | 30960 | 3416 | 72440 | 3659 | 107362 | 1821 | 33091 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 38 | 112 | 6 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | झारखंड | 2738 | 10517 | 3554 | 1943 | 5144 | 32514 | 6216 | 26154 | 5826 | 35715 | 2958 | 14287 |
| 16 | कर्नाटक | 1578 | 6399 | 1069 | 3869 | 1292 | 5371 | 904 | 4588 | 603 | 4190 | 646 | 4573 |
| 17 | केरल | 276 | 442 | 336 | 248 | 212 | 1104 | 226 | 2564 | 415 | 1527 | 196 | 219 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 368 | 510 | 455 | 270 | 886 | 574 | 1176 | 608 | 1071 | 409 | 422 | 156 |
| 21 | महाराष्ट्र | 797 | 3304 | 541 | 249 | 918 | 765 | 1017 | 1208 | 1023 | 485 | 503 | 497 |
| 22 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ओडिशा | 935 | 1870 | 583 | 1350 | 742 | 1561 | 753 | 1612 | 1041 | 1891 | 632 | 968 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | पंजाब | 4504 | 8391 | 2868 | 3987 | 4538 | 9967 | 4902 | 14545 | 4969 | 20279 | 2573 | 9869 |
| 29 | राजस्थान | 4545 | 5254 | 1123 | 806 | 2960 | 3228 | 4435 | 5072 | 4230 | 5799 | 2600 | 2333 |
| 30 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | तमिलनाडु | 245 | 47 | 236 | 80 | 671 | 272 | 1121 | 528 | 1119 | 427 | 553 | 237 |
| 32 | तेलंगाना | 181 | 3546 | 66 | 549 | 108 | 6674 | 118 | 7540 | 104 | 12746 | 37 | 7086 |
| 33 | त्रिपुरा | 147 | 208 | 1 | 0 | 44 | 81 | 70 | 162 | 97 | 157 | 65 | 70 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 4274 | 1230 | 2714 | 383 | 3961 | 1087 | 3720 | 1173 | 4476 | 2516 | 2005 | 1001 |
| 35 | उत्तराखंड | 461 | 379 | 156 | 522 | 484 | 765 | 590 | 510 | 649 | 432 | 375 | 245 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल योग** | **29776** | **110676** | **19777** | **40458** | **29153** | **118136** | **32487** | **171138** | **33020** | **232763** | **17309** | **98776** |

**उपाबंध-4**

**'आपराधिक मामलों का बैकलॉग' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *376, जिसका उत्तर तारीख 20.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

तारीख 31.10.2024 तक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) की राज्य-वार स्थिति

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम | कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 21 |
| 2 | अंदमान और निकोबार | 0 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 0 |
| 4 | असम | 15 |
| 5 | बिहार | 0 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 27 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव | 0 |
| 9 | दिल्ली | 26 |
| 10 | गोवा | 4 |
| 11 | गुजरात | 54 |
| 12 | हरियाणा | 6 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 3 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 8 |
| 15 | झारखंड | 41 |
| 16 | कर्नाटक | 0 |
| 17 | केरल | 0 |
| 18 | लद्दाख | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 0 |
| 21 | महाराष्ट्र | 101 |
| 22 | मणिपुर | 6 |
| 23 | मेघालय | 0 |
| 24 | मिजोरम | 2 |
| 25 | नागालैंड | 0 |
| 26 | ओडिशा | 0 |
| 27 | पुडुचेरी | 0 |
| 28 | पंजाब | 7 |
| 29 | राजस्थान | 0 |
| 30 | सिक्किम | 2 |
| 31 | तमिलनाडु | 72 |
| 32 | तेलंगाना | 0 |
| 33 | त्रिपुरा | 3 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 373 |
| 35 | उत्तराखंड | 4 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 88 |
| | **योग** | **863** |

**उपाबंध-5**

**'आपराधिक मामलों का बैकलॉग' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *376, जिसका उत्तर तारीख 20.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

तारीख 31.10.2024 तक त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की राज्य-वार स्थिति

| क्रम सं. | राज्यसंघ राज्यक्षेत्र का नाम/ | कार्यरत न्यायालय | |
|---|---|---|---|
| | | ईपॉक्सो सहित त्वरित निपटान न्यायालय | ईपॉक्सो |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 16 | 16 |
| 2 | असम | 17 | 17 |
| 3 | बिहार | 46 | 46 |
| 4 | चंडीगढ़ | 1 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ | 15 | 11 |
| 6 | दिल्ली | 16 | 11 |
| 7 | गोवा | 1 | 0 |
| 8 | गुजरात | 35 | 24 |
| 9 | हरियाणा | 16 | 12 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 |
| 11 | जम्मू-कश्मीर | 4 | 2 |
| 12 | झारखंड | 22 | 16 |
| 13 | कर्नाटक | 31 | 17 |
| 14 | केरल | 55 | 14 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 67 | 57 |
| 16 | महाराष्ट्र | 8 | 4 |
| 17 | मणिपुर | 2 | 0 |
| 18 | मेघालय | 5 | 5 |
| 19 | मिजोरम | 3 | 1 |
| 20 | नागालैंड | 1 | 0 |
| 21 | ओडिशा | 44 | 23 |
| 22 | पुडुचेरी * | 1 | 1 |
| 23 | पंजाब | 12 | 3 |
| 24 | राजस्थान | 45 | 30 |
| 25 | तमिलनाडु | 14 | 14 |
| 26 | तेलंगाना | 36 | 0 |
| 27 | त्रिपुरा | 3 | 1 |
| 28 | उत्तराखंड | 4 | 0 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 218 | 74 |
| 30 | पश्चिमी बंगाल | 6 | 6 |
| 31 | अंदमान और निकोबार** | - | - |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश*** | - | - |
| | **योग** | **750** | **408** |

* पुडुचेरी ने विशेष रूप से स्कीम में सम्मिलित होने का अनुरोध किया और तब से मई **2023** में एक विशेष पॉक्सो न्यायालय का संचालन किया है ।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने स्कीम में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, लेकिन अभी तक कोई त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित नहीं किया है ।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है ।

**********